20/3/25 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] व्यस्त है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 23/4/25 को पेश हो।

23/4/25 [illegible] मूलतः पत्रावली
के अभिलेख [illegible] कार्यवाही की जा चुकी है अतः [illegible] का कोई औचित्य नहीं रह जाता है
अतः वि-[illegible] के अपराधिक 2023 में
मूलतः कह गया [illegible]
[illegible] पत्रावली के अन्य कोई लंबित अभिवाद
नहीं है पत्रावली दाखिल दफ्तर किये जाने
योग्य [illegible] की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:16:32 IST
Reason: SelfAttested